

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/141

प्रार्थी हरमन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख उम्र 49 वर्ष निवासी अमरगढ तहसील सादुल्लहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता चनन सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुल्लहर जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 09.06.2015 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 08.08.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 09.06.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह एवं गुरमेल सिंह पुत्र मिटू सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री सिंधीपाल जोशी अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

26/08/2021

b

all verified by me
26/08/2021
(श्री सिंधीपाल जोशी अड)